भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

**लोकसभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3755**
**11.08.2026 को उत्तर के लिए नियत**

**इलेक्ट्रिक यात्री कारों के बिनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना**

**3755. श्री कृपानाथ मल्लाह:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसी) के, विशेषकर निवेश आकर्षित करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ढावा देने के संबंध में, उद्देश्य और प्रमुख प्रावधान क्या हैं,
(ख) क्या इस योजना में विनिर्माण के स्थानीयकरण और प्रौद्योगिकी अंतरण का प्रावधान है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत परिकल्पित प्रस्तावित निवेश, विनिर्माण क्षमता और रोजगार सृजन का ब्यौरा क्या है; और
(घ) केंद्र और भागीदार विनिर्माताओं की भूमिका सहित कार्यान्वयन ढांचे का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**भारी उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

**(क) एवं (ख):** भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) को वैश्विक इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माताओं से निवेश (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित) आकर्षित करने तथा भारत को इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से दिनांक 15.03.2024 को अधिसूचित किया गया। स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित आवेदक को भारत में ईचौपहिया विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने हेतु न्यूनतम ₹4,150 करोड़ का निवेश करना तथा अनुमोदन की तिथि से तीसरे वर्ष

तक 25 प्रतिशत एवं पाँचवें वर्ष तक 50 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना अनिवार्य है।

**(ग) एवं (घ):** एसपीएमईपीसीआई के कार्यान्वयन हेतु, दिनांक 15.03.2024 की स्कीम अधिसूचना में निहित प्रावधानों के अनुपूरक विस्तृत दिशा-निर्देश दिनांक 02.06.2025 को जारी किए गए। स्कीम अधिसूचना के पैरा-9 के अनुसार, एक अंतर-मंत्रालयी स्कीम स्वीकृति समिति स्कीम की स्वीकृति, समग्र निगरानी तथा कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। प्रस्तावित निवेश के संबंध में अब तक इस स्कीम के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

*****